

**अनुसूची**  
( धारा 2 और 3 देखिये )

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से विधान सभा द्वारा अनुदत्त	अनधिक राशियां संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व 100	0	100
		पूंजी 25,00,00,000	0	25,00,00,000
03	पुलिस	राजस्व 1,70,00,00,100	0	1,70,00,00,100
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 100	0	100
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 5,00,00,100	0	5,00,00,100
10	वन	राजस्व 7,13,00,000	0	7,13,00,000
		पूंजी 60,00,000	0	60,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 6,34,81,70,000	0	6,34,81,70,000
13	कृषि	राजस्व 21,02,00,00,200	0	21,02,00,00,200
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 50,00,100	0	50,00,100
17	सहकारिता	राजस्व 200	0	200
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व 1,45,51,34,000	0	1,45,51,34,000
		पूंजी 33,97,50,000	0	33,97,50,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी 7,01,10,00,000	0	7,01,10,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 3,96,42,000	0	3,96,42,000
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी 0	7,76,05,000	7,76,05,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 1,000	0	1,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व 500	0	500
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व 1,00,00,00,000	67,75,000	1,00,67,75,000
		पूंजी 0	5,50,00,000	5,50,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 18,99,50,00,100	0	18,99,50,00,100
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 100	0	100
36	परिवहन	राजस्व 3,00,00,000	0	3,00,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व 37,40,14,08,700	0	37,40,14,08,700
		पूंजी 1,61,92,50,000	0	1,61,92,50,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व 5,00,00,400	0	5,00,00,400
47	कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व 1,25,00,00,000	0	1,25,00,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व 6,20,30,50,000	0	6,20,30,50,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व 13,14,75,10,400	0	13,14,75,10,400
		पूंजी 4,04,55,00,100	0	4,04,55,00,100
65	विमानन विभाग	राजस्व 25,00,00,000	0	25,00,00,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	राजस्व 600	0	600
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय सहायता	राजस्व 4,02,39,20,000	0	4,02,39,20,000

**अनुसूची**  
( धारा 2 और 3 देखिये )

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से विधान सभा द्वारा अनुदत्त	अनधिक राशियां संचित निधि पर भारित	योग	
(1)	(2)	(3)			
		₹	₹	₹	
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	97,60,80,000	0	97,60,80,000
		पूंजी	2,50,00,00,000	0	2,50,00,00,000
	योग	राजस्व	1,14,01,62,18,700	67,75,000	1,14,02,29,93,700
		पूंजी	15,77,15,00,100	13,26,05,000	15,90,41,05,100
	वृहद योग		1,29,78,77,18,800	13,93,80,000	1,29,92,70,98,800